संख्या-649 /एक-10-2023-12(रिट)/2023

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2023

विषयः- कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

स्व0 विनय बाबू मिश्र पुत्र स्व0 शशिधर मिश्र, उपनिरीक्षक एवं स्व0 आनन्द कुमार सिंह, पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभारी निरीक्षक, जी0आर0पी0 अयोध्या की कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00-50.00 लाख कुल रू0 100.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि वर्ष 2022-23 में शासन के पत्र संख्या-109/एक-10-2023-33(06)/2020 दिनांक 23 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित की गयी।

2- शासन के उक्त पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2023 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-254/एसीआरए-दैवी आपदा/बजट आवंटन/2023 दिनांक 29.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों मृतक कार्मिकों के आश्रतों का विस्तृत विवरण समयान्तर्गत उपलब्ध न होने के कारण अनुग्रह धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी और धनराशि समर्पित कर दी गयी। उक्त स्थिति का उल्लेख करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुन: रू0 100.00 लाख का बजट आवंटित किये जाने की मांग की गयी है।

3- जिलाधिकारी अयोध्या के उक्त प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या द्वारा उक्त की गयी मांग/अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्व0 विनय बाबू मिश्र पुत्र स्व0 शशिधर मिश्र, उपनिरीक्षक एवं स्व0 आनन्द कुमार सिंह, पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभारी निरीक्षक, जी0आर0पी0 अयोध्या की कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00-50.00 लाख कुल रू0 100.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने हेतु रू0 100,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तो के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की ड्यूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी

है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।

(3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 100,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिंह)
सचिव।

संख्या- 649 (1)/एक-10-2023-12(रिट)/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनुसचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-17/05/2023

प्रेषण संख्या:- 649
आवंटन आदेश संख्या:- 001-649
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 26500000	10000000 26500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 26500000	10000000 26500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंसठ लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.05.17 01:53:02 +05:30